IV 59/2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6 SEP 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 485321

मोतीलाल सिंह यादव

मोतीलाल महाविद्यालय

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 10/09/2010 को सैदपुर, गाजीपुर में श्री मोतीलाल सिंह यादव पुत्र स्व0 केदारनाथ सिंह यादव, ग्राम – होलीपुर, विकास ख0– सैदपुर, व तहसील सैदपुर, जनपद – गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/ संस्थापक पर 5000/–(पाँच हजार रुपये) की राशि है जिसे वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट मोतीलाल महाविद्यालय के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्टी का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतो से दान, उपकर, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनो को और बढाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पाँच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम– सैदपुर, पोस्ट– सैदपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर जिला – गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम – सैदपुर, पोस्ट– सैदपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर, जिला – गाजीपुर होगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय– समय पर उचित स्थान स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जा सकता है –

मोतीलाल सिंह यादव

क्र० 28/10 दिनांक 7-7-2010

क्र० 501

2866

[signature]

[illegible] कुमार श्रीवास्तव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सं०-[illegible]

आज दिनांक 10-9-2010 को नोटरी रजिस्टर पुस्तक सं० [illegible] के खण्ड 05 के पृष्ठ 21/116 में क्र० 59 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[signature] 10/9/10

अशोक कुमार

उप निबन्धक